# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

क्रमांक– आदेश/रिमाण्ड/ 25 दिनांक– 26.03.2025

**रिमाण्ड डयूटी बाबत कार्यालय आदेश**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–12 सपठित धारा–13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं परवीन बानू, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली आदेश पारित करती हूँ कि माह अप्रेल 2025 में पडने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

**माह अप्रेल 2025**

| क.सं. | नाम अधिकारी | पदनाम | डयूटी की दिनांक |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | सुश्री लक्षिता सूत्रकार RJS | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली | 05, 06 April 2025 |
| 2 | श्री मयंक पालीवाल RJS | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम | 10, 12 April 2025 |
| 3 | श्री इन्द्रप्रकाश सैन RJS | न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौली | 13, 14 April 2025 |
| 4 | श्रीमती सुमन मुण्डोतिया RJS | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा | 18, 20 April 2025 |
| 5 | श्रीमती संयोगिता गहलोत RJS | न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी | 26, 27 April 2025 |

निर्देश:–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

Parveen Banu
26.03.25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

क्रमांक– 420-429 दिनांक:– 26/03/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।

2.श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र

3.सबंधित अधिकारी सर्व श्री ..............................

4.सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।

5.प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।

6.आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

Parveen Banu
26.03.25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली